International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197, Impact Factor: RJIF 5.22
www.academicsjournal.com
Volume 2; Issue 3; May 2017; Page No. 343-345

लोकतांत्रिक व्यवस्था में खाप पंचायतों के फरमान एवं मीडिया की भूमिका

विवेक पाठक

पी–एच.डी., गांधी और शांति अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट, भारत।

सारांश

लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत मीडिया और खाप पंचायतों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता हैं। किसी भी घटना के बारे में जानकारी आम जनता को समाचार पत्र या मीडिया के माध्यम से ही मिलती है, तो वहीं सामाजिक व्यवस्था को बनाएँ रखने में खाप पंचायतों कि भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता हैं कि यदि मीडिया नहीं होती तो ग्रामीण अंचलों में आंनर किलिंग जैसी घटना शायद ही लोगों के सामने आ पाती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मीडिया खाप पंचायतों के सभी पक्षों को दिखाती है ? सिर्फ आंनर किलिंग को खाप पंचायत से जोड़ कर मीडिया ट्रायल करना कहाँ तक जायज है ? मीडिया की रिपोर्टिंग पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। फर्जी न्यूज के द्वारा टी.आर.पी बढ़ाने के लिए बार–बार झूठी खबरे प्रसारित कि जाती रही है। इस शोध पत्र के माध्यम से इन्हीं सब मुद्दों पर अध्ययन किया गया हैं कि वर्तमान समय में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए और उसके सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं।

मुख्य शब्द : लोकतंत्र, मीडिया, खाप पंचायत, आंनर किलिंग

प्रस्तावना

संचार प्रणाली और यातायात व्यवस्था के फलस्वरूप ही दुनिया एक वैश्विक गाँव बन गया है। विश्व के किसी भी कोने में घटने वाली घटना के बारे में जानकारी हमे रेडियो, अखबार और टीवी के माध्यम से तुरंत मिल जाती है। आधुनिक युग में सम्मान के नाम पर किए जाने वाले अपराध के बारे में समाज का ध्यान आकर्षित करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान समय में मीडिया के साथ–साथ पंचायत कि भूमिका समाज और सरकार के बीच एक प्रकार की 'जन पंचायत' करने का होता है, जहाँ शिकायतें अपना जवाब मांगती हैं और जिम्मेदार लोग जवाब देही निभाते हैं।[1] निसंदेह आज मीडिया का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है एक समय था, जब अखबार को राष्ट्रीय के साथ–साथ क्षेत्रीय संदर्भ में भी देखा जाता था। समाचार पत्रों के साथ–साथ विभिन्न भाषाओं में करीब 50 से अधिक खबरिया चौनल काम कर रहे हैं।[2] जैसे–जैसे समय बदलता जा रहा है, टीवी पत्रिकारिता की चमक बढ़ती ही जा रही हैं। पुंजीवाद के दौर में खबरिया चौनलों की बाढ़ से प्रतिस्पर्धा का उत्त्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। जिसका परिणाम यह हुआ की इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा दी जाने वाली सूचना नें प्रश्न चिन्ह लगा दिया। निजी चौनल टी.आर.पी के चक्कर में अपनी नैतिकता को खोते जा रहे हैं।[3] जब इलेक्ट्रानिक मीडिया नहीं था तब विभिन्न सूचनाओं के बारे में जानकारी प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही सामने आती पाती थी।[4] लेकिन भूमंडलीकरण के दौर में जितना विकास हुआ है, उतना नुकसान भी हुआ है। लोगों के पास इतना समय नहीं है वह कई घंटे बैठ कर समाचार पत्र को पढने के साथ–साथ सभी खबरों को देखें। खबर दिखाने वाले के पास भी इतना समय नहीं है कि वह सभी खबरों का विश्लेषण करें। इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया दोनों ही अपने मतानुसार अपराध का प्रस्तुतीकरण करते हैं। एक तरफ जहाँ प्रिंट मीडिया में खास कर अपराधों को चार–पांच पेज कि कहानी बना कर पेश किया जाता है।[5] तो वहीं इलेक्ट्रानिक कवरेज त्वरित, तेज–रफ्तारी और अल्पजीवी होती हैं। इनका एक मात्र उद्देश्य सर्कुलेशन का विस्तार करना होता है।[6] यही कारण है कि खाप और मीडिया के बीच हमेशा से ही संघर्ष की स्थिति बनी रही है।

खाप समर्थकों का कहना है कि मीडिया को हमारे सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता है तो मीडिया का कहना है, की आप जो लोग कुछ कर रहे हैं वह ललोकतंत्र के विरूद्ध है। दिल्ली स्थित गैर–सरकारी संगठन शक्ति–वाहिनी ने दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि इज्जत के नाम पर हो रही हत्याओं पर रोक लगने के साथ–साथ खाप पंचायतों के फरमान पर भी रोक लगे। जनवरी में न्यायालय ने एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन को आदेश देते हुए कहा कि वो राज्यों की प्रतिक्रिया लें की उन्होंनें खापों की इस गतिविधि को रोकने के लिए क्या दिशा तय किया हैं।

इस आदेश के बाद खाप समर्थक सूबे सिंह ने बी.बी.सी संवादता से कहा[7] कि परम्पराओं को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बदल सकती है। गौरतलब हैं की रामचंद्रन ने अपनी सिफारिश में खाप पंचायत को गैर–संवैधानिक बताया था। लेकिन याचिका दाखिल करने वाली शक्ति–वाहिनी के वकील रविकांत ने कहा की वे खाप के विरूद्ध नहीं हैं। रामचंद्रन कि सिफारिश को लेकर उन्होंनें अपना मतभेद व्यक्त करते आगे कहते हैं की इतने बड़े तबके में आप किसी–किस को गिरफ्तार करेंगे।[8] आंनर किलिंग कि बढ़ती घटना के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि "सम्मान के नाम पर होने वाली हत्या को जायज ठहराने वाली उत्तर प्रदेश और हरियाणा की खाप पंचायतें लोकतंत्र पर खून से सना एक धब्बा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतों को अवैध करार देते हुए क्रूर और बर्बर कहा था। खाप पंचायतें सामंतवादी व्यवस्था को स्थापित करने में आगे और सम्मान के नाम पर युवाओं की हत्या करने पर खाप पंचायतों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने की ताकीद की थी।[9] राजू रामचंद्रन ने अपनी सिफारिश में कहा कि "स्थानीय अधिकारी अपने यहाँ ऐसे इलाकों की पहचान करें जहाँ पर एक साल के अंदर इज्जत के नाम पर हत्याएं हुई हैं। खतरे का सामना कर रहे

दम्पतियों को सुरक्षा प्रदान की जाये। यदि खाप नेता किसी भी बैठक में भड़काऊ के साथ–साथ कोई ऐसा फैसला लेती है, जो लोकतंत्र के विरुद्ध है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाये। स्थानीय अधिकारी सही कदम नहीं उठाते है तो उन पर भी कार्यवाही की जाये"।[10] लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तथाकथित फरमानों पर रोक लगी है।

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 36 बिरादरियों की खाप पंचायत ने यह फरमान दिया कि प्रेम विवाह करने वालों को गाँव में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। 40 साल से कम उम्र की महिलाएँ बाजार मोबाइल नहीं ले जा सकेगी।[11] हरियाणा के रेवाडी में खाप पंचायत ने अपने फैसले के द्वारा एक विवाहित जोड़े को गाँव में नहीं घुसने दिया। यहाँ तक विवाहित जोड़े के परिवार वालों का भी बहिष्कार किया और कहा गया की दोनों का गाँव और गोत्र एक हैं। पंचायत नें कहा की "जो प्रेम विवाह करना चाहता हैं वह गाँव से बाहर रहेगा"।[12] स्थानीय निवासी अफसाना इसका विरोध करते हुए कहती हैं की जिनके घर में मर्द नहीं हैं, वो बाजार तो जायेगी। गाँव की अन्य महिला शीला का कहना हैं की ये फरमान गैर वाजिब हैं, यदि मेरे घर में कोई पुरुष नहीं हैं तो मुझे बाजार तो जाना ही होगा।[13] हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खाप पंचायतों का समर्थन करते हुए कहते हैं की "खाप पंचायतें एक एनजीओ की तरह हैं वह हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। लेकिन पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम ने कहा कि खाप पंचायत एक पुरातनपंथी संस्था हैं, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं हैं"।[14] इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि खाप पंचायतें जो काम आज से 100 साल पहले करती भी थी, वह अब नहीं कर पा रही हैं। अपने फिजूल के फरमानों की वजह से खाप पंचायतों के साख को धक्का लगा हैं। पंचायतों ने रेप रोकने के लिए सुझाव दिया की, विवाह की उम्र कम कर देनी चाहिए। खाप के प्रतिनिधि सूबे सिंह नें कहा कि "लड़कियों की शादी 15 साल के उम्र में हो जानी चाहिये। एक अन्य सदस्य ने कहा की बच्चों के बड़े होते ही उनके अंदर यौन इच्छा आने लगती हैं, लेकिन जब वे पूरी नहीं होती हैं तो वह पथ भ्रष्ट हो जाते हैं।[15]

इस अजीबो गरीब फरमान का विरोध खुद हरियाणा की सर्वखाप महापंचायत के महिला प्रकोष्ठ की प्रमुख संतोष दहिया और जनवादी महिला समिति कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगमती सांगवान ने किया था।[16] जबकि इंडियन नेशनल लोक दल के प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने इसका समर्थन करते हुए कहा की इससे महिलाओं का भला होगा।[17] खाप पंचायत के प्रतिनिधि सूबे सिंह का कहना हैं कि दिल्ली गैंग रेप के आरोपियों को जनता के दबाव में न तो कोई ऐसा दंड देना चाहिए और न ही ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए जो अनुचित हो। इसका विरोध करते हुए आल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोशियन की महासचिव जगमती सांगवान का कहना हैं कि "हरियाणा में 20 गैंग रेप हुए हैं। खाप पंचायत उन लोगों कों बचाना चाहती हैं, इसलिए ऐसा कह रही हैं।[18] इस तरह के फरमानों की वजह से हरियाणा की जो अच्छी खाप पंचायतें हैं, उनका भी मजाक बनने लगा हैं।

वहीं खापों पर बनी फिल्मों पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा हैं। खाप पंचायतों पर बनी एक फिल्म 'खाप' 29 जुलाई 2011 कों प्रदर्शित की जानी थी लेकिन महम चौबीसी नें इस फिल्म पर रोक लागते हुए घोषणा किया की किसी भी सूरत में इस फिल्म कों रिलीज नहीं होने दिया जायेगा।[19] खाप के इस फैसले को बदलने के लिए फिल्म निर्माता 'अजय सिन्हा' ने 6 अगस्त को फिल्म का विशेष शो आयोजित किया। 50 से अधिक खाप के वरिष्ठ नेताओं सहित करीब 150 लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद खाप नेताओं ने फैसला किया 28 अगस्त को रोहतक में महापंचायत कर इस फिल्म के रिलीज पर निर्णय किया जायेगा।[20] इसके बाद जिस फिल्म का विरोध हुआ वह विनोद कापड़ी की फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हो थी। उत्तर प्रदेश के भैंसी गाँव में खाप ने फरमान जारी करते हुए कहा कि जो कोई फिल्म के निर्देशक का सर काट कर लायेगा उसे 51 भैस ईनाम में दिया जायेगा। अहलावत खाप ने फिल्म के नहीं रिलीज होने कि बात कही। खाप पंचायत का कहना था कि विनोद कापड़ी नें अपनी फिल्म में प्रेम विवाह और खाप पंचायत कि छवि को गलत तरीके से पेश किया हैं।[21]

निष्कर्ष

उपरोक्त जितने भी विवरण दिये गये हैं, वह प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम के द्वारा दिये गये हैं। यदि उपरोक्त आकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होता हैं कि गाँव में बैठने वाले लोगों के समूह को खाप बताया गया है, तो कही–कही गाँव की पंचायत बताया गया हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत पर बैन लगाने की बात कही तो मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने खाप पर बैन लगा दिया हैं। जबकि सच्चाई यह थी कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई, उसमें सिर्फ सुझाव दिये गये थे। न की बैन करने की बात कही गई थी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी खाप पंचायतों द्वारा समय–समय पर जारी होने वालें फरमानों पर सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश और हरियाणा की विभिन्न खाप नेताओं को आमंत्रित किया और उनके द्वारा समाज के लिए कुछ बेहतर कदम पर उनकी सरहाना करते हुए कहा कि खाप पंचायतें भूर्ण हत्या के खिलाफ कार्यवाही करती हैं, जिसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं।

जस्टिस आफताब और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि खाप पंचायतों का पक्ष सुने बगैर कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा। पीठ नें याचिकाकर्ता शक्ति–वाहिनी से कहा कि खाप के शीर्ष लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए सूचित करे। हरियाणा में बहुत सारी खाप पंचायतें हैं और उनके विचारों में बहुत सारी भिन्नता होगी। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि यदि हम खाप पंचायतों के विचार और पक्ष को जान लेगे तो संतुष्ट हों जाएगे। फिलहाल हम वहीं विचार सुन रहे हैं, जों उनके खिलाफ हैं। आज हमें जो भी तथ्य प्राप्त हो रहे हैं वह मीडिया के द्वारा मिल रहे हैं। तथ्यों को तोड़–मोड कर पेश करना कहाँ तक जायज हैं। इसलिए जाट समाज और खाप के लोगों को खुद आगे आना होगा। यदि मीडिया और समाज के लोग इतना ही बदलाव चाहते हैं तो खापों पर अपना दबाव बनाना बंद कर दे। ऐसा नहीं है कि खापों के अंदर बदलाव नहीं आ रहा हैं।

बस आप फोर्स मत कीजिये, कोई समाज गलत नहीं होता हैं। दरअसल खाप शब्द को गाँव–मोहल्ले की पंचायत का पर्यायवाची बना दिया गया हैं। जबकि खाप समूचे गोत्र या कई उप–गोत्रों और 36 बिरादरियों के लिए होती हैं। जो किसी ग्राम विशेष के लिए अलग से नहीं होता हैं। प्रिंट मीडिया घटने वाली घटनों कों एक खबर के रूप से छापती हैं न कि एक शोध की तरह। सभी एनजीओ जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं यह जरूरी नहीं हैं कि वह सही ही हों। फर्क सिर्फ इतना हैं हरियाणा दिल्ली के पास हैं, इसलिए खबरों में बने रहते हैं। इतना तो निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं कि मीडिया

और खाप दोनों को अब सामाजिक जिम्मेदारी लेते हुए एक अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ताकि लोगों के बीच रिश्ते बेहतर हो सके और संवाद की स्थिति हमेशा बनी रहे। इसलिए मीडिया और खाप पंचायतों की जिम्मेदारी पहले कि तुलना में बढ़ी हैं, वह भी नैतिकता के साथ।

संदर्भ

1. पचौरी, सुधीश. उत्तर आधुनिक मीडिया और विमर्श. पृ.67।
2. जोशी, रामशरण. 2008. मीडिया, मिथ और समाज. पृ. 75–76।
3. वही. पृ.7।
4. वही. पृ.7।
5. शाह, प्रियंका. 2012. स्त्री उत्पीड़न,कामुकता,हिंसाचार तथा मीडिया. पृ. दूतीय अध्याय।
6. जोशी, रामशरण. 2008. मीडिया, मिथ और समाज. पृ. 149।
7. देखे, अदालतें रीतियाँ नहीं बदल सकती खाप नेता. उपलब्ध. November-6-2012. http://www.bbc.com/hindi/india/2012/11/121106-khap-court-vk.html
8. Ibid
9. देखें, सुप्रीम कोर्ट नें सुनाया फैसला–जंगली और शर्मनाक हैं खाप पंचायतें. उपलब्ध.http://hindi.oneindia.in/news/2011/04/20/supreme-court-on-khap-panchayats-barbaric-shameful-aid0073.html
10. देखे, अदालतें रीतियाँ नहीं बदल सकती खाप नेता. उपलब्ध- November-6-2012. http://www.bbc.com/hindi/india/2012/11/121106-khap-court-vk.html
11. देखे, खाप पंचायतों ने लगाया लव मैरिज पर बैन–बागपत. उपलब्ध http://khbar.ndtv.com/news/india/bagpat-panchayat-bans-love-marriage-women
12. देखे, खाप का तुगलकी फरमान–एक गोत्र में शादी का सामाजिक बहिष्कार. सोमवार. 1 अक्तूबर. 2012. समय. 2 बज करके 27 मिनट.http://khabar.ndtv.com/news/zara-hatke/khap-orders-social-boycott-of-same-gotra-couple-355534
13. देखे, शर्मा. अजय. क्या मोबाइल है सारे फसाद की जड़. बागपत. सिर ढककर रहें महिलाएं. मोबाइल साथ नहीं रखे. नई दिल्ली. 27 जनवरी 2014. बीबीसी संवादाता. उपलब्ध http://www.bbc.com/hindi/india/2014/01/140126_khap_panchayat_girls_mobile_aj
14. बनर्जी, तुषार. खाप, प्रेम विवाह और प्रतिबंध. रनसल. 13, 2013.उपलब्ध http://www.bbc.com/hindi/india/2012/07/20713-lovemarriage-ban-fam
15. देखें, हुड्डा नें खाप पंचायत को एनजीओ के समकक्ष माना, चंडीगढ़. शुक्रवार. 7 फरवरी. 2014. समय. 21 बजकर के 10 मिनट. उपलब्ध http://zeenews.india.com/hindi/news/state/hooda-equates-khap-panchayats-with-ngos/201855
16. देखे, हरियाणा का अजीबों–गरीब रेप रोकों फार्मूला. चंडीगढ़. सोमवार. 8 अक्टूबर 2012. समय. 11 बजकर के 36 मिनट. http://zeenews.india.com/hindi/news/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6/%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%AA-%E0%A4%AA%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC-%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%AA-%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AB%E0%A5%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A4%BE/149653
17. देखें, खापों ने नहीं किया शादी की उम्र घटाने का समर्थन. सोनीपत. शनिवार. 13 अक्टूबर 2012. समय. 10 बजकर के 35 मिनट उपलब्ध. http://khabar.ndtv.com/news/india/haryana-khap-panchayats-meet-to-push-for-early-marriages-for-girls-355948
18. देखे, 15 साल की उम्र शादी हों तो रेप पर लगाम लग सकता हैं, जी न्यूज ब्यूरो. नई दिल्ली. 11 अक्टूबर 2012. उपलब्ध http://zeenews.india.com/hindi/news/%E***0%***A***4%***AA%E***0%***A***5%8***D%E***0%***A***4%***B***0%***E***0%***A***4%***A***6%***E***0%***A***5%87%***E***0%***A***4%***B***6/15-%***E***0%***A***4%95%***E***0%***A***5%80-%***E***0%***A***4%89%***E***0%***A***4%***AE%E***0%***A***5%8***D%E***0%***A***4%***B***0-%***E***0%***A***4%***AE%E***0%***A***5%87%***E***0%***A***4%82-%***E***0%***A***4%***B***9%***E***0%***A***5%8***B%E***0%***A***4%82-%***E***0%***A***4%***B***6%***E***0%***A***4%***BE%E***0%***A***4%***A***6%***E***0%***A***5%80-%***E***0%***A***4%***A***4%***E***0%***A***5%8***B-%E***0%***A***4%***B***0%***E***0%***A***5%87%***E***0%***A***4%***AA-%E***0%***A***4%***AA%E***0%***A***4%***B***0-%***E***0%***A***4%***B***2%***E***0%***A***4%97-%***E***0%***A***4%***B***8%***E***0%***A***4%95%***E***0%***A***4%***A***4%***E***0%***A***4%***BE-%E***0%***A***4%***B***9%***E***0%***A***5%88-%***E***0%***A***4%***B***2%***E***0%***A***4%97%***E***0%***A***4%***BE%E***0%***A***4%***AE-%E***0%***A***4%9***A%E***0%***A***5%8***C%E***0%***A***4%9***F%E***0%***A***4%***BE%E***0%***A***4%***B***2%***E***0%***A***4%***BE/***149928***
19. देखें, सरकार कों भावनाओं में नहीं बहना चाहिए. दिल्ली गैंग रेप के आरोपियों कों फासी नहीं होनी चाहिए. हिसार. मंगलवार. 1 जनवरी. 2013. समय 18 बजकर के 11 मिनट. उपलब्ध. http://oneindia.in/news/2013/01/01/Haryana-khap-panchayats-favour-rape-accused-225276.html
20. चौधरी, डी. आर. 2013. अनुवादक. कुमार मुकेश. खाप पंचायतों की प्रासंगिकता.पृ.18
21. प्रेम विवाह और खाप पंचायत कि छवि को गलत तरीके से पेश किया हैं।